

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2015

जयपुर, दिनांक:


14 MAR 2016

-:आदेश:-

श्री सुरेश कुमार दाधीच, अधिशाषी अभियन्ता(पंचायती राज) का विशेष चयन कर विभागीय आदेश क्रमांक-एफ 2(1)ग्रावि/गुप-1/2013 दिनांक 26.08.2013 द्वारा श्री दाधीच को अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक(रो.गा.स्की.), बाडमेर के पद पर पदस्थापित किया गया था, निर्देशानुसार इनका विशेष चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर इन्हें राज्य हित में अधिशाषी अभियन्ता, (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री दाधीच अपना कार्यभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर को सम्भलवायेंगे ।

श्री दाधीच को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण योगकाल अवकाश देय होगा । उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है ।


(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर एवं हनुमानगढ़ ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री दाधीच का कार्यभार संभाल कर इन्हें तत्काल कार्यमुक्त करें ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ ।
9. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को तत्काल प्रस्तुत करें ।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(राजेश कुमार शर्मा)